

सं. ए-12018/35/2017-एमई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में हैड सफाईवाला के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एवी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में हैड सफाईवाला के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफ़ोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/टिप्पणी
1.	पद का नाम	हैड सफाईवाला	हैड सफाईवाला	
2.	पदों की सं.	3	3* (2017) (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	एस-4, रु. 2750-70-3800-75-4400 (पाचवां के.वे.आ.) पीबी-1 जीपी: रु. 1800 (छठा के.वे.आ.)	पे मैट्रिक्स का लेवल- 2 (रु. 19900)	यद्यपि इसका प्रस्ताव वेतन मैट्रिक्स पे लेवल-3 (रु. 21700) के रूप में किया गया था,जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। हैड सफाईवाला का फ़िडर पद सफाईवाला/वाली है जिसे सातवें के.वे.आ. के पे मैट्रिक्स लेवल-1 (रु. 18000) सहित एमटीएस के साथ मिला दिया गया है।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन	अचयन	
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो।	लागू नहीं	क्योंकि पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागूनहीं	लागूनहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	1 वर्ष	कोई परिवीक्षा नहीं	प्रोन्नति का पद होने के कारण।

10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100%प्रोन्नति द्वारा	100%प्रोन्नति द्वारा	
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	सीआईपी, रांची में कार्यरत सफाईवाला/वाली के ग्रेड से प्रोन्नति द्वारा।	सातवें के.वे.आ. के लेबल-1 (रु. 18000) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ सफाईवाला/वाली के रूप में कार्यरत मलटी-टास्किंग स्टाफ से प्रोन्नति द्वारा।	
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. संस्थान के निदेशक- अध्यक्ष 2. मुख्य नर्सिंग अधिकारी/उप-नर्सिंग अधीक्षक- सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य 4. नामिक व्यक्ति - अ.ज/ अ.ज.जा. 5. नामिक व्यक्ति- अल्पसंखिक वर्ग	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल हैं: निदेशक (सीआईपी) - अध्यक्ष चिकित्सा अधिकारी- सदस्य प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	किसी भी प्रोन्नति वाले पद के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति आवश्यक है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	